FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. LSG/UDAIPUR/FIRENOC/2024-25/33031

Dated: 03.07.2024

Certified that the ST. MARY'S CONVENT SR SEC SCHOOL (name of the building or premises) at NEW FATEHPURA, UDAIPUR (address) comprised of GROUND FLOOR basement(s) and TWO UPPER FLOORS (upper floors) owned/ occupied by ST. MARY'S CONVENT SR SEC SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 27.06.2024 (date of inspection) in the presence of SR. SUCHITA KIRO (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) With effect from 03.07.2024 for a period of one year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी
- 2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- 3. अग्निशमन उपकरण समयाविध में रीफिल कराना होगा।/ अग्निशमन उपकरण समयाविध में रीफिल कराना होगा।
- 4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।/ निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- 6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- 7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- 8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- 9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- १०. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलमशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- 11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- 12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- 13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
- 14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Issued on 03.07.2024 (date of issue) at UDAIPUR (place) by *Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: .

Name:

Designation :

Name & Address of Department/ Office: ...

To ST. MARY'S CONVENT SR SEC SCHOOL, NEW FATEHPURA, UDAIPUR (Name & Address of the Institution)

PRINCIPAL
ST MARY'S CONVENT
SR. SEC. SCHOOL
NEW FATHEPURA
UDAIPUR (RAJ.)-313004